

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	भाद्र, 12, गुरुवार, शाके 1948- सितम्बर 03, 2026 Bhadra 12, Thursday, Saka 1948- September 03, 2026	

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डों, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि

जयपुर, विकास प्राधिकरण, जयपुर

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 21, 2026

संख्या जविप्रा/उपा/जोन-10/2026/डी-1158 :-जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 25 की उपधारा (3) के अनुसरण में जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम नागल सुसावतान तहसील आमेर खसरा संख्या 537 के फार्म हाउस एकल पट्टा भूखण्ड क्षेत्रफल 8547.06 वर्गमीटर भूमि, जिसका भू-उपयोग मास्टर विकास योजना 2011 के अनुसार ईकोलोजिकल, मास्टर विकास योजना 2025 व जोनल विकास योजना-13 के अनुसार U2 (LIZ) दर्शाया गया है, का फार्म हाउस से रिसोर्ट भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने बाबत अधिसूचना दिनांक 27.06.2026 द्वारा आपति/सुझावआमंत्रित किए गए थे। जिसमें 15 दिवस की निर्धारित अवधि में कोई आपति/ सुझाव प्राप्त नहीं हुए। प्रकरण आयुक्त महोदय के अनुमोदन उपरांत दिनांक 02.06.2026 में रखा जाकर भू-उपयोग परिवर्तन किए जाने के सशर्त स्वीकृति प्रदान की गई है।

उपान्तरण

जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 25 की उपधारा (4) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम नागल सुसावतान तहसील आमेर खसरा संख्या 537 के फार्म हाउस एकल पट्टा भूखण्ड क्षेत्रफल. 8547.06 वर्गमीटर भूमि, जिसका भू-उपयोग मास्टर विकास योजना 2011 के अनुसार ईकोलोजिकल, मास्टर विकास योजना 2025 व जोनल विकास योजना-13 के अनुसार U2 (LIZ) दर्शाया गया है, का भू-उपयोग उपान्तरण रिसोर्ट प्रयोजनार्थ किया जाता है।

यह अधिसूचना आज दिनांक 21/08/2026 को जारी की गई है।

गौरव सैनी,
सचिव।